

केन्द्रीय सूचना आयोग  
दूसरा तल, बी विंग, अगस्त क्रान्ति भवन,  
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110066

संख्या: CICOM/R/2017/00053/SH

दिनांक : 23.01.2016

श्री नर्वदेश्वर प्रसाद सिन्हा,  
57, नंदपुरी खाजेपुरा,  
पटना -800014 ।

महोदय

कृपया सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन दिनांक 06.01.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करे जो इस रजिस्ट्री को ऑनलाइन सुविधा आरटीआई एमआईएस के माध्यम से दिनांक 13.01.2017 को प्राप्त हुआ है। इस संबंध में विन्दुवार उत्तर निम्न प्रकार है: -

- (i) इस बिंदु को श्री ए. के. गहलोत, संजुक्त सचिव (MR) को हस्तांतरित किया जा रहा है।
- (ii) इस बिंदु में आप आयोग के आदेश संख्या CIC/SH/A/2015/002006 दिनांक 14.12.2016 के बारे में सपष्टीकरण मांग रहे है इस संबंध में आपको ये सूचित करना चाहते है कि अधोहस्ताक्षरी को आयोग के आदेश के ऊपर कोई टिप्पणी करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।
- (iii) अपील संख्या CIC/SH/A/2015/002006 में पारित आदेश दिनांक 14.12.2016 की कंडिका 4 में उलेखित "There are two vigilance case against him. Their communications sent to him including at the address of the applicant have been returned undelivered" का आधार आदेश के पैरा संख्या 4 में ही निहित है और इस संबंध में कोई भी पत्र फाइल में उपलब्ध नहीं है।
- (iv) इस बिंदु के संबंध में आप सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 का अबलोकन करें।
- (v) फाइल संख्या CIC/SH/A/2015/002007 में एसी कोई पत्रिलिपि उपलब्ध नहीं है।
- (vi) इस बिंदु में आप सूचना अधिकारी का राय मांग रहे जो की सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2(f) के अंतर्गत बर्जित है।
- (vii) & (viii)  
फाइल संख्या CIC/SH/A/2015/002006 & CIC/SH/A/2015/002007 में पृष्ठों की संख्या 79 है आपसे अनुरोध है कि आप ₹ 2/- प्रति पृष्ठ के हिसाब से ₹ 158/- आयोग में Indian postal order, demand draft or a Banker's Cheque के रूप में जो कि "Pay & Accounts Officer, CAT, New Delhi" को देय हो भेजने की कृपा करे। उपरोक्त राशी आयोग में प्राप्त होने के बाद आपको दस्तावेज / सूचना उपलब्ध करा दी जायगी।
- (ix) आपके द्वारा धारा 18 के अधीन भेजा गया आवेदन दिनांक 07.08.2015 को आयोग में फाइल संख्या CIC/SH/C/2016/000028 के तहत दर्ज की गई है इस पर सुनवाई दिनांक 20.02.2016 को निश्चित की गयी है। आपको सुनवाई के संबंद में पत्र जल्दी ही जारी किया जाएगा।

यदि आप इस जबाब से संतुष्ट नहीं हैं तो आप 30 दिनों के अन्दर प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते हैं । प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम व पता नीचे दिया गया है:-

श्री राकेश कुमार सिंह,  
अतिरिक्त सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,  
केन्द्रीय सूचना आयोग, अगस्त क्रान्ति भवन,  
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110066

(विजय भल्ला)

उप-पंजीयक

प्रतिलिपि : केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग ।

आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिलिपि : श्री ए. के. गहलोट, संजुक्त सचिव (MR) को इस आशय के साथ दिया जाता है की क्रम संख्या 1 पर आवेदक को सीधे जबाब दें ।